

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर  
जिला-सलुम्बर (राज.)

प्रार्थी... श्री बसन्तीलाल.....

विपक्षी-... राज्य.....

किस्म मुकदमा-धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली संख्या-... 77... / 2025

दिनांक

29/09/25

पत्रावली ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प स्थल खरका मे पेश हुई।  
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरस्ती का पेश करने पर दर्ज किया  
गया।

प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मौजा खरका खाता संख्या 351 में  
प्रार्थी का नाम बसन्तीलाल पिता कालुलाल लौहार अंकित है जिसे  
संशोधित करा बसन्तीलाल पिता कालुलाल जैन अंकित किया जाने  
का निवेदन किया।

पटवारी हल्का खरका भू.अ.निरीक्षक खरका से रिपोर्ट प्राप्त की  
गई है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रार्थी का नाम बसन्तीलाल पिता  
कालुलाल लौहार के बजाय बसन्तीलाल पिता कालुलाल जैन संशोधित  
किया जाने की अनुशंषा की गई है।

अतः पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंषा  
अनुसार मौजा खरका पटवार हल्का खरका की खाता संख्या 351 में  
प्रार्थी का नाम बसन्तीलाल पुत्र कालुलाल जैन संशोधित किया  
जावे। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ  
आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक सलुम्बर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

प्रकरण संख्या-....77.../2025 प्रा.प.

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर जिला-सलुम्बर  
ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खरका व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खरका तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में खाता संख्या-351 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खरका	351	बसन्तीलाल पुत्र कालुलाल जाति लौहार	बसन्तीलाल पुत्र कालुलाल जाति जैन



क्रमांक:-ग्रामीण सेवा शिविर/2025/1453

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी,  
सहायक कलक्टर सलुम्बर  
सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

दिनांक:-29/09/25

प्रतिलिपि एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार सलुम्बर जिला सलुम्बर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री बसन्तीलाल पुत्र कालुलाल जाति जैन निवासी खरका को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी,  
सहायक सलुम्बर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर